



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 1 मई, 2018 / 11 वैशाख, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th April, 2018

No. LLR-E(9)-8/2018-Leg.—Whereas, Smt. Urvashi, Advocate w/o Sh. Gopal Krishan Sharma, r/o Sultanpur Kullu, Tehsil and District Kullu, H.P. has applied for appointment of Notary Public in sub-division Kullu of District Kullu under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against her appointment as a Notary Public in sub-division Kullu and of District Kullu.

Sd/-
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th April, 2018

No. GAD(GI)2(B)-6/82-GAC-II.—In exercise of powers conferred under Rule 8(1) of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment & Conditions of Services) Rules, 1974 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to order further extension in service in favour of Shri Sunder Singh Verma, Secretary, H.P. Vidhan Sabha for a period of two months *w.e.f.* 01-05-2018 to 30-06-2018 in public interest. The other conditions as specified in this department's notification of even number dated 27-04-2017 with respect to pay, pension benefits *etc.* shall remain the same.

By order,
AKSHAY SOOD,
Secretary (GAD).

सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग—ई

अधिसूचना

शिमला—2, 28 अप्रैल, 2018

संख्या: सा0प्र0वि0एफ0-एफ0(4)-10/2000-लूज.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश “हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि योजना-1985” के अन्तर्गत प्रदेश के स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि को दिनांक 1-4-2018 से मु० ₹ 5,000/- से बढ़ाकर मु० ₹ 10,000/- प्रतिमास करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) ए (9)-1/2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है ।

इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-05-हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण-पेंशन-गैर योजना में से किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -
सचिव (सामान्य प्रशासन)।

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st March, 2018

No. 11-23/84(Lab) ID/2012-Mandi.—Whereas Shri Raj Dev s/o Shri Jai Singh, r/o Village Ratkel, P.O. Sajaopiplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. had submitted his demand notice dated 10-01-2010 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and the Labour Commissioner, Himachal Pradesh vested with the powers of appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the industrial dispute at a belated stage after period of nearly about 7 years from the date of his alleged illegal termination and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 16-03-2012 for adjudication;

And whereas Shri Raj Dev s/o Shri Jai Singh agitated the above orders of declining of reference for adjudication of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 2646/2013. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has dismissed the civil writ petition on 18-06-2013. Thereafter, Shri Raj Dev s/o Shri Jai Singh agitated the Judgment of the Hon'ble High Court dated 18.06.2013 before the Hon'ble Supreme Court of India vide Civil Appeal No. 18012-18013 of 2017 (Special Leave Petition (C) Nos. 30103-30104 of 2017). The Hon'ble Supreme Court of India has decided the Civil Appeal (above) on 06-11-2017. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

- “5. Therefore, these appeals are allowed with a direction to respondent No.-1 that the cases of the appellants shall also be considered for reference, ignoring the objection in the matter of delay.
6. Needful be done within two months from the date of production of a copy of this judgment.”

Therefore, in view of above Judgment / directions of the Hon'ble Supreme Court of India, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me vide

Himachal Pradesh Government Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) make a reference to the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section- 7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication;

“Whether termination of the services of Shri Raj Dev S/O Shri Jai Singh, R/O Village Ratkel, P.O. Sajaopiplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. *w.e.f.* 28-02-2004 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and amount of compensation the above aggrieved worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-
Deputy Labour Commissioner,
Himachal Pradesh.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-एफ(10)-22/2017.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 123 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2017-लूज़ तारीख 5 सितम्बर, 2017 का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों से गठित मुनाफाखोरी-रोधी छानबीन समिति का पुनर्गठन करते हैं, अर्थात्:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री हीर भगत नेगी, आयुक्त	केन्द्रीय माल और सेवा कर, हिमाचल प्रदेश
2.	श्री संजय भारद्वाज	अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर, हिमाचल प्रदेश

2. यह अधिसूचना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017 dated 01/05/2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by rule 123 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, Himachal Pradesh, in supersession of notification No. EXN-F(10)-22/2017-Loose dated 5th September, 2017, published in the gazette of Himachal Pradesh on 5th September, 2017, hereby re-constitutes the Screening Committee on anti-profiteering consisting of following officers, namely:—

Sl. No.	Name of officer	Designation
1	2	3
1.	Sh. Hir Bhagat Negi	Commissioner, Central Goods and Services Tax, Himachal Pradesh.
2.	Sh. Sanjay Bhardwaj	Additional Commissioner of State Tax, Himachal Pradesh

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

तारीख पेशी : 08-05-2018

कपिल महाजन पुत्र देश राज, निवासी गांव व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता।
2. Local Registrar, Births & Death GP, Shahpur.
3. Registrar, Births & Death-cum-CMO, Dharamshala.

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधिन जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र राघव महाजन का जन्म दिनांक 19-02-1987 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश

उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त जन्म तिथि को रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-05-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

तारीख पेशी : 08-05-2018

कपिल महाजन पुत्र देश राज, निवासी गांव व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता।
2. Local Registrar, Births & Death GP, Shahpur.
3. Registrar, Births & Death-cum-CMO, Dharamshala.

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र रिषभ महाजन का जन्म दिनांक 15-03-1990 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त जन्म तिथि को रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-05-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री पवन ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं० : 04/T/2018/Misc.

तारीख पेशी : 09-05-2018

श्रीमती दीपा कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.— जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण करने बारे।

नाटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती दीपा कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने अपने लड़के रोहित कुमार की जन्म तिथि 26-10-2016 लिखी है। उक्त जन्म तिथि कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत घरना के रिकार्ड में दर्ज न हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये ईशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती दीपा कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण 26-10-2016 जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक -----को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Kalsang Dorgee

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Kalsang Dogree पुत्र Tashi, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम Kalsang Dogree की जन्म तिथि 15-10-1983 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Kalsang Dogree का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Jai Chand

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Jai Chand पुत्र Salig Ram, निवासी Bandi, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम Sanjeev Kumar की जन्म तिथि 18-06-1978 है परन्तु नगर निगम/कैन्ट बोर्ड/ग्राम पंचायत Bandi में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Sanjeev Kumar का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Parveen Chander

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Parveen Chander पुत्र/पत्नी श्री Jai Chand, निवासी Dari, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता Satya Devi की मृत्यु तिथि 09-11-2002 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Satya Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Chirring Bahadur

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Chirring Bahadur पुत्र Mideshi, निवासी Baijnath, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी भतीजी का नाम Karma Dolma की जन्म तिथि 08-04-1978 है परन्तु M.C. Dharamsala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची Karma Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

**In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra H.P.**

1. Shri Sandeep Kumar s/o Shri Amar Singh, r/o Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Shabnan d/o Shri Subhash Chand, r/o Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra.

Versus

1. The General Public
2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 03-12-2017 but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages *i. e.* Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07-05-2018 at 10.00 A.M., Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

**In the Court of Shri Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt.Sonam Chozom wife of Shri Tsering Wangtop, resident of House No. 67, Tibetan Colony, Near Medical Hostel, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, H.P. *..Applicant.*

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Sonam Chozom wife of Shri Tsering Wangtop, resident of House No. 67 Tibetan Colony, Near Medical Hostel, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth *i.e.* (DOB 05-04-1979) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 20-05-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 21st day of April, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban) District Shimla.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मुशताक पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी नौरगबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 157 / 18

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुशताक पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी नौरगबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र लियाकत की जन्म तिथि 25-02-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् धौला कुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 25-02-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लियाकत की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-05-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त लियाकत की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मुशताक पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी नौरगबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या :157/18

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुशताक पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी नौरगबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र असलम की जन्म तिथि 03-03-2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् धौला कुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 03-03-2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को असलम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-05-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त असलम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।